

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 276]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 2 सितम्बर 2020-भाद्र 11, शक 1942

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2020

क्र.एफ 2-4-2020-लोसेप्र-इकसठ-1-पी.एस.जी.-05.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएँ	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
5.32	साईनेज लायसेंस (Hoardings)	1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर परिषद् क्षेत्र के लिए 2. आयुक्त, नगर पालिक निगम या आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी - नगर पालिक निगम क्षेत्र के लिए	30 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर	07 कार्य दिवस	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास

5.33	गाबेज कलेक्शन एवं सिवरेज क्लीनिंग	1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर परिषद् क्षेत्र के लिए 2. आयुक्त, नगर पालिक निगम या आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी - नगर पालिक निगम क्षेत्र के लिए	02 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर	03 कार्य दिवस	संभाग आयुक्त
5.34	जहाँ तकनीकी रूप से साध्य हो वहाँ नवीन सीवर कनेक्शन प्रदाय किया जाना	1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर परिषद् क्षेत्र के लिए 2. आयुक्त, नगर पालिक निगम या आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी - नगर पालिक निगम क्षेत्र के लिए	30 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर	07 कार्य दिवस	संभाग आयुक्त
5.35	सड़क काटने की अनुमति (Road Cutting)	1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर परिषद् क्षेत्र के लिए 2. आयुक्त, नगर पालिक निगम या आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी - नगर पालिक निगम क्षेत्र के लिए	30 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर	07 कार्य दिवस	संभाग आयुक्त
5.36	अ. सड़क काटने की अनुज्ञा के आधार पर किये गये कार्य का निरीक्षण करना ब. सुव्यवस्थित सड़क मरम्मत को सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन	1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर परिषद् क्षेत्र के लिए 2. आयुक्त, नगर पालिक निगम या आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी - नगर पालिक निगम क्षेत्र के लिए	अ. सड़क काटने की अनुमति के पश्चात् 30 कार्य दिवस ब. सड़क मरम्मत के पश्चात् 30 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर	07 कार्य दिवस	संभाग आयुक्त

5.37	निकार्यों से खाद्य व्यवसाय हेतु लायसेंस	1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर परिषद् क्षेत्र के लिए 2. आयुक्त, नगर पालिक निगम या	30 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर	07 कार्य दिवस	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास
		आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी - नगर पालिक निगम क्षेत्र के लिए				
5.38	ऑडिटोरियम / लोक-मनोरंजन के स्थान हेतु लायसेंस (Licensing for Auditorium / Place of Public amusement)	1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर परिषद् क्षेत्र के लिए 2. आयुक्त, नगर पालिक निगम या आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी - नगर पालिक निगम क्षेत्र के लिए	30 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर	07 कार्य दिवस	संभाग आयुक्त

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव.